

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

24

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/1346

दिनांक : 26-02-14

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04 जनवरी 2014 के पद क्रमांक (02) के निर्णय :- सुन्दरनाथ महाविद्यालय इटायादा गोहद भिण्ड (07539-222219) को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. तृतीय वर्ष (आ.पा. हिन्दी साहित्य, संस्कृत साहित्य इतिहास), अति.वि.- राजनीतिशास्त्र भूगोल समाजशास्त्र, बी.एस. सी तृतीय वर्ष (आ.पा., भौतिक, रसायन, गणित), अति.विषय - जन्तुविज्ञान वनस्पति विज्ञान कम्प्यूटर साइंस, बी.कॉम तृतीय वर्ष प्लेन/कम्प्यूटर एप्लीकेशन, बी.ए. द्वितीय वर्ष, अति.विषय. कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अंग्रेजी साहित्य एवं अर्थशास्त्र, बी.एस.सी द्वितीय अति. विषय बायोटेक पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. शिक्षकों की नियुक्तियाँ शेष विषयों में 28(17) में की जावें।
2. गैर शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियाँ वि.वि. के माध्यम से की जावे।
3. प्रयोगशालाओं को परिनियम 27 के अनुसार बनाया जावें।
4. कोर्स से संबंधित साफ्टवेयर (लीगल) क्रय करें तथा रसायन एवं उपकरण रु. 15000/- के क्रय करें।
5. रु. 20,000 रु. की मानक स्तर की पुस्तकें क्रय करें।
6. परिनियम 27-28 का पालन करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य सुन्दरनाथ महाविद्यालय इटायादा गोहद भिण्ड
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)